# विधायी सारांश

## शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005

**एम आर माधवन**
madhavan@prsindia.org

**रूचिता मंधनानी**
ruchita@prsindia.org

**21 नवम्बर, 2005**

### विधेयक की मुख्य बातें

- संविधान के 86वें संशोधन विधेयक के अन्तर्गत अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया जिसके अनुसार 6-14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है । शिक्षा के अधिकार का विधेयक इस संशोधन को प्रभावी बनाना चाहता है ।
- सरकार सभी बच्चों के लिए पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी । प्रत्येक स्कूल को कुछ न्यूनतम मानक जो विधेयक में परिभाषित किए गए है, उनके अनुरूप कार्य करना होगा ।
- सरकारी स्कूल सभी दाखिल बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे । प्राइवेट स्कूल कमजोर वर्ग के बच्चों को कम से कम 25% दाखिला देंगे और इनसे कोइ फीस नही ली जाएगी । दाखिले के समय किसी भी बच्चे से जांच पड़ताल और केपिटेशन फीस लेना मना है ।
- सरकारी स्कूल, स्कूल प्रबन्ध समिति (एसएमसी) द्वारा प्रबन्धित होंगे जो मुख्यरूप से अभिभावकों से बनी होगी । शिक्षकों को किसी स्कूल विशेष में कार्यभार दिया जाएगा और उनका कोई स्थानान्तरण नहीं होगा ।
- प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा जो कि शिक्षा की गुणवत्ता सहित सभी पहलुओं को संचालित करेगा ।

### महत्वपूर्ण विषय और विश्लेषण

- कुछ विशेषज्ञ "कामन स्कूल पद्धति" को लागू न करने के लिए विधेयक की आलोचना करते हैं जबकि कुछ और यह मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से 25% मुफ्त सीट भी लेना उचित नहीं है ।
- एक आशंका यह भी है कि शिक्षकों को स्कूल विशेष में कार्यभार सौंपे जाने से उनकी पदोन्नति और रोजगार सुरक्षा पर असर पड़ेगा ।
- अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित स्कूलों पर अपने प्रयोग को लेकर विधेयक अस्पष्ट प्रतीत होता है ।
- विधेयक में विकलांगता ग्रस्त बच्चों के अधिकारों को और स्पष्ट करने की जरूरत है तथा यह भी कि यह कैसे लागू होंगे ।
- स्कूल की गुणवत्ता में और बच्चों की शिक्षण प्रतिफल में सुधार करने में एसएमसी की क्षमता के संबंध में मिलाजुला साक्ष्य है ।
- इस विधेयक से राजकोष पर 6 वर्ष में 3,21,000 करोड़ से 4,36,000 करोड़ रूपए का भार पड़ेगा जो कि शिक्षा पर मौजूदा खर्चे के अतिरिक्त होगा । यह बढ़ोतरी जीडीपी का 1.1% से 1.5% अनुमानित है ।

# भाग क: विधेयक की मुख्य बातें[1]

## संदर्भ

उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णण बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (1993) के मामले में व्यवस्था दी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार से जुड़ा है । इस व्यवस्था के बाद 86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को इस प्रकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी जैसा सरकार कानून द्वारा निर्धारित करेगी । 86वें संशोधन में अनुच्छेद 45 को भी संशोधित किया गया जो इस प्रकार है कि सरकार यह प्रयास करेगी कि सभी बच्चों को छः साल की उम्र तक देखभाल और शिक्षा प्रदान किया जाय । शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2005, 86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाना चाहता है ।

## मुख्य विशेषताएं

### प्रत्येक बच्चे का अधिकार

- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ।
- 7-9 आयु वर्ग के बिना नामांकन वाले बच्चों को अधिनियम प्रारंभ होने के 1 वर्ष के अंदर आयु के अनुसार ग्रेड में दाखिला पाने का अधिकार है और 9-14 आयु वर्ग को विशेष कार्यक्रम प्रदान करने का हक है जो उन्हें 3 वर्षों के अंदर ऐसे ग्रेड में शामिल होने के योग्य बनाएगा ।
- गंभीर और गहन अपंगता से ग्रस्त बच्चे जो पड़ोस के स्कूल में नहीं जा सकते को उपयुक्त पर्यावरण में शिक्षा पाने का अधिकार है ।
- किसी भी बच्चे को 8 वीं कक्षा तक न तो रोका जा सकता है और न स्कूल से निकाला जा सकता है । किसी प्रकार के निष्कासन के लिए स्कूल प्रबंध समिति का आदेश अपेक्षित है जो सभी अन्य सुधारात्मक उपायों के समाप्त होने के बाद ही दिया जायेगा और माता-पिता/अविभावकों की सुनवाई की गई हो । स्थानीय प्राधिकरण ऐसे बच्चों को पड़ोस के अन्य स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रयास करेंगे ।

### सरकार का दायित्व

- सरकार तीन वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी । यदि उपलब्ध नहीं होता है तो निःशुल्क परिवहन और निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान की जाएगी । राज्य/संघशासित सरकार प्रत्येक वर्ष स्कूलों की जरूरत, सुविधायें और उनके स्थान निर्धारित करेगी और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त स्कूल स्थापित करेगी, अध्यापक नियुक्त करेगी और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ।
- दाखिला, सहभागिता और सभी बच्चें की उपस्थिति को मॉनीटर करने के लिए सरकार एक व्यवस्था लागू करेगी और जहाँ आवश्यक होगा सुधारात्मक उपाय करेगी । इस संबंध में ऑनलाइन सहित आम जनता में जानकारी उपलब्ध कराएगी ।

### स्कूल दाखिला

- सरकारी स्कूलों और पूर्ण सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगी । आंशिक रूप में सहायता प्राप्त स्कूलों को कम से कम उस अनुपात तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए जहां तक सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जो कम से कम 25% होनी चाहिए । गैर-सहायता[2] प्राप्त और विशेष श्रेणी[3] के स्कूलों को कम से कम 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए । सरकार स्कूल को हर बच्चे के खर्च की प्रतिपूर्ति सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे खर्चे या स्कूल फीस के अनुसार, जो भी कम हो, करेगी ।
- दाखिले के समय स्कूल बच्चों और उनके माता-पिता से किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं करेगी । बच्चों को रेन्डमचयन के आधार पर दाखिलों के लिए चुनाव किया जाएगा । कैपिटेशन फीस वर्जित है ।

### स्कूल प्रबन्धन

- सभी गैर सरकारी स्कूल सक्षम प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए । सभी स्कूलों द्वारा मान्यता दिए जाने से पूर्व कुछ मानदंडों (जैसे शिक्षिक-छात्र अनुपात, आधारभूत ढ़ांचा आदि) को पूरा किए जाने के बारे में विधेयक में उल्लेख किया गया है ।
- सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को स्कूल प्रबन्ध समिति बनानी होगी जिसमें कम से कम 75% सदस्य माता-पिता/अभिभावक हों ; शेष सदस्यों में शिक्षक, समुदाय और स्थानीय प्राधिकरण का हो । स्कूल प्रबन्धन स्कूल का प्रबन्ध करेगी जिसमें कि शिक्षकों को अवकाश की स्वीकृति और वेतन देना भी शामिल है । एसएमसी/स्थानीय ऑथारिटी को शिक्षकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और साधारण दंड देने का भी अधिकार होगा ।
- सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल विशेष में नियुक्त किए जाएंगे और शिक्षक जो पहले से कार्यरत है, उन्हें दो वर्ष के भीतर किसी स्कूल विशेष में नियुक्त किया जाएगा । वह इस प्रकार के स्कूल से स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते ।

[1] शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के प्रारूप के आधार पर यह सार तैयार किया गया है ।

[2] इस सार में प्राइवेट स्कूल संदर्भित किया गया है ।

[3] विशेष श्रेणी के स्कूलों में केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल आदि शामिल हैं ।

- पाठ्यक्रम का हस्तातंरण और उसे पूरा करना, नियमित रूप से बच्चे के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना, जरूरत पड़े तो पूरक शिक्षा देना, सभी माता-पिता/अभिभावकों को बच्चे के शिक्षा और विकास के बारे में अवगत कराना अध्यापक का दायित्व है ।
- अध्यापकों को प्राईवेट ट्यूशन देना मना है । अध्यापकों को जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंध्न के अलावा किसी और गैर-शैक्षणिक कार्य पर नहीं लगाया जाएगा ।

## विषय वस्तु और प्रक्रिया

- शैक्षणिक समितियां जो स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार करता है उन्हें संविधान में सम्मिलित मूल्यों को अनुसरण करना होगा । स्कूलों को बच्चों के अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए ।
- किसी भी बच्चे को VIII वीं ग्रेड पूरा करने से पहले पब्लिक परीक्षा में बैठना अपेक्षित नहीं होगा । किसी भी बच्चे को स्कूल में शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा ।

## प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय आयोग (एनसीईई)

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो कि एक समिति की सिफारिश के आधार पर होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होंगे ।
- एनसीईई सभी पहलुओं को मानीटर करेगी जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी शामिल है । यह इस अधिनियम के लिए ओमबड्समैन[4] का कार्य करेगा ।

## अन्य प्रमुख प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा लेने से नहीं रोकेगा । कोई व्यक्ति बच्चे को ऐसे काम में नहीं लगाएगा जिससे यह प्रतीत हो कि वह कामगार बच्चा है ।
- माता-पिता/अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे को जो 6 वर्ष का हो चुका हो, स्कूल में दाखिला दिलाए और उसको प्रारंभिक शिक्षा 8वीं ग्रेड तक सुलभ कराए । अगर कोई माता-पिता/अभिभावक अपने दायित्व को जान बुझकर नहीं निभाता है तो स्कूल प्रबन्ध समिति उसे स्कूल के बाल देखभाल के जरिए अनिवार्य समाज सेवा करने को कह सकती है ।
- जिस भी व्यक्ति को स्थापना, स्कूल प्रबन्ध के बारे में शिकायत हो, वह स्थानीय प्राधिकरण/स्कूल प्रबन्ध समिति को लिखित रूप में दे सकता है । जो कि उपयुक्त कार्रवाई करेगी और शिकायतकर्ता को 90 दिन के अन्दर सूचित करेगी । अगर शिकायत कर्ता इस कार्रवाई से असन्तुष्ट हो तो वह अन्य अभ्यावेदन इन प्राधिकरण को दे सकता है (राज्य/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्र सरकार) जो कि उपयुक्त कार्रवाई करेगी और शिकायत कर्ता को 90 दिन के भीतर सूचित करेगी ।
- राज्य/संघ शासित सरकार एक राज्य स्तरीय विनियामक प्राधिकरण बना सकती है जो कि ऐसी शिकायतों की जांच करेगी जो उपर बताए गए उपायों के बावजूद दूर नहीं हो जाती है ।
- बच्चे को ग्रेड I में तभी दाखिल किया जाएगा जब वह शिक्षा वर्ष प्रारंभ होने से पहले पाँच वर्ष दस माह का हो ।
- विधेयक उन व्यक्तियों और स्कूलों के लिए दंड का प्रावधान करता है जो कि कैपिटेशन फीस, जांच पड़ताल, मान्यता लेने में, हस्तक्षेप करते हैं और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं ।

## वित्त व्यवस्था

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनके परामर्श से यथानिर्धारित लागत शेयर के बारे में ऐसे फार्मूला के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ।
- यद्यपि विधेयक में कोई निहितार्थ लागत का उल्लेख नहीं है, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति (केब) 6 वर्षों में 3,21,000 करोड़ और 4,36,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त लागत का अस्थायी अनुमान लगाया है ।

[4] ओमबड्समैन एक ऐसा कार्मिक है जो सरकार और इसके विभागों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करता है ।

# भाग ख: प्रमुख विषय और विश्लेषण

## विधेयक का लक्ष्य

विधेयक का लक्ष्य स्पष्ट है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो (क) निःशुल्क; (ख) अनिवार्य; (ग) समान गुणवत्ता; (घ) पड़ोस में उपलब्ध हो । यह शिक्षा ग्रेड I और VIII के मध्य उपलब्ध होगी और मान्यता प्राप्त स्कूल के माध्यम से प्रदान की जाएगी जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं । विधेयक में निहित है कि अनौपचारिक स्कूल नहीं होंगे और अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 द्वारा परिभाषित अर्हता रखनी होगी ।

## कार्यान्वयन

### शिक्षा के माध्यम

इस विधेयक में सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों और गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है ।

कुछ शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटे के स्थान पर "कामन स्कूल पद्धति" शामिल की जानी चाहिए । इसके अनुसार एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के बच्चों को पड़ोस के स्कूल में जाना चाहिए और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए । उनका मानना है कि इससे (क)इससे सरकारी स्कूलों में स्तर बढ़ेगा क्योंकि प्रभावशाली वर्ग के लोग उच्च स्तर के लिए प्रयत्न करेंगे (ख) कि इससे बच्चों के बीच अवसरों की असमानता कम होगी (ग) एक बेहतर सोसायटी का विकास होगा क्योंकि अलग-अलग वर्ग के बच्चे कम उम्र में ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे ।[5]

अन्य विचारधारा वाले यह कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत योगदान दिया है । इसमें न केवल विशिष्ट प्राइवेट स्कूल बल्कि साधारण प्राइवेट स्कूल जिनमें गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं । कुछ सुक्ष्म अध्ययन दर्शाते हैं कि प्राइवेट स्कूल कुछ गरीब शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण अनुपात में हैं और इस ढ़ाचे को बिगाड़ना अवांछनीय और अव्यवहारिक है । बेशक बहुत से साधारण प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हैं ।[6]

**प्रबन्धन द्वारा स्कूल का अनुपात**
**प्राइवेट स्कूल कुल स्कूलों का छठा भाग है ।**

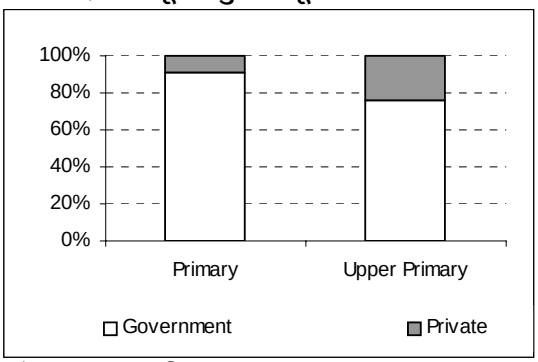


श्रोतः चुनिन्दा शिक्षा सांख्यिकी, 2001-2002 एमएचआरडी
नोटः प्राइवेट स्कूल डेटा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल नहीं है । गैर मान्यता प्राप्त स्कूल इस पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं, यथा 26% छात्र पंजाब में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में थे । (एस.सी मेहता द्वारा अध्ययन, नीपा 2005)

विधेयक में यह उल्लेख है कि प्राइवेट स्कूलों को ग्रेड VIII तक 25% सीट कमजोर वर्गों को प्रदान करना होगा । ऐसे बच्चों के लिए उच्च ग्रेडों में शिक्षा जारी रखने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी ।

कार्यान्वयन के मुख्य मुद्दे कैपिटेशन शुल्क नहीं लेने और कोई जांच पड़ताल नहीं करने आदि से संबंधित है । विधेयक में उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणन के बाद ही निजी स्कूल खोले जा सकते है । कुछ आलोचकों का मत है कि यह वांछित लक्ष्य हो सकता है किन्तु अधिकारियों जो कि इन पहलुओं पर नजर रखेंगे से भ्रष्टाचार पनप सकता है । यह नियम स्कूल प्रबन्धन में हस्तक्षेप कर सकता है और स्थानीय संस्था को इन्सपेक्टर राज की ओर ले जा सकते हैं ।

### शिक्षा की गुणवत्ता

सभी बच्चे को "समान गुणवत्ता" की शिक्षा का अधिकार है । "समान गुणवत्ता" शब्द को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है । विधेयक में भौतिक आधारभूत ढ़ांचे (कमरों, शिक्षकों, शौचालयों आदि) के संख्या का मानदंड बताया गया है लेकिन शिक्षा से संबंधित प्रतिफलों को नहीं दर्शाया गया है । किसी कक्षा में रोके नहीं जाने की नीति में यह जोखिम है कि बच्चा वगैर अपेक्षित क्षमता के ग्रेड VIII तक पहूंच जाएगा । कुछ अध्ययन इंगित करते हैं कि चालू प्रणाली में शिक्षा के प्रतिफल को सुनिश्चित नहीं किया गया है ।[7]

[5] कोठारी आयोग(1966) ने कामन स्कूल की सिफारिश की । सदगोपाल (केब प्रस्तुति, 2005) इसपर चर्चा करता है ।

[6] टूली और डिक्सन "Private Schools Serving the Poor" सितम्बर, 2005 को शाहदरा, दिल्ली में 66% प्राइवेट स्कूल मिले । शाहदरा में औसत स्कूल फीस 125 रू प्रति माह का अनुमान है और लगभग 10% सीट मुफ्त या रियायती फीस पर दिए जाते है । सरकारी स्कूलों में अनुमानित 2000 रूपए प्रति बच्चा औसत अनुमान का फीस ढ़ांचा से यह कम है - (Eduardo Faleiro "Union Budget 2003-04: The Gross Neglect of Education", Mainstream मार्च, 29, 2003)

[7] (क) एमएचआरडी की वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 के अनुसार 132 जिलों में जहां डीपीईपी लागू किया गया है 2001 और 2003 के दौरान टर्मिनल मूल्यांकन सर्वे किया गया । उन जिलों का प्रतिशत जहां बच्चों ने 60% से अधिक अंक लाए उनमें 43.2% (भाषा में) और 28.8% (गणित में) थें । (ख) प्रथम संसाधन केन्द्र द्वारा

### अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूल

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर होगा । यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपनी पसन्द के शैक्षणिक संस्थान बनाने और उसका संचालन का अधिकार प्रदान करता है । इस विधेयक में यह स्पष्ट करना होगा कि क्या अल्पसंख्यकों को अपने पसन्द के स्कूल बनाने और संचालित का अधिकार इस विधेयक की जरूरत के आधार पर है जिसमें मान्यता मानदंड, जांच नहीं करने की नीति, कमजोर वर्गों के लिए 25% का कोटा आदि शामिल है ।

### बाल मजदूरी

हालाँकि विधेयक में किसी व्यक्ति को बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने से रोकने पर प्रतिबन्ध लगाता है, लेकिन यह बाल श्रम के मामले को पूरी तरह रोकता नहीं है । कोई बच्चा जो घर पर काम करता है और स्कूल भी जाता है, को दोहरा भार की समस्या का सामना करना पड़ता है । यह विधेयक छोटे भाई-बहन की देखभाल के मुद्दे को अनदेखा करता है जिसकी बजह से बड़े बच्चे (ज्यादातर लड़कियां) स्कूल नहीं जा पाती।

### विकलांगता से ग्रस्त बच्चे

विधेयक में यह उल्लेख है कि बच्चे जो गंभीर और गहन विकलांगता से ग्रस्त है, जो कि पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशानुसार किसी और उचित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जबकि विधेयक में स्कूल के लिए अपेक्षित मानदंड (शिक्षक छात्र अनुपात, भवन आदि) का उल्लेख किया गया है, लेकिन विकलांग बच्चों को स्कूल जाने की सुविधाएं (जैसे रैम्पस, ब्रेल रीडर आदि) पर मौन है ।

इस विधेयक में विकलांगता का अर्थ विकलांगता अधिनियम, 1995 द्वारा बताया गया है जिसमें अन्य विकलांगता शामिल नहीं है जैसे कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 (ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी) में परिभाषित है । इस परिभाषा में पढ़ने में विकलांगता वाले बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जैसे (डिस्लेक्सिया) जिनके लिए विशेष ध्यान और उनके शिक्षण की आवश्यकता है ।

केब कमिटी यह मानती है कि 2.7% बच्चे विकलांग हैं और 0.03% गंभीर रूप से विकलांग हैं । पहले वाले मामले में 2000/- रूपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष और बाद वाले मामले में 50,000 रूपए प्रति बच्चा की राशि की जरूरत महसूस की गई है ताकि इन विकलांग बच्चों की शैक्षिक लागत खर्च को पूरा किया जा सके ।[8]

## निरीक्षण एवं मूल्यांकन

### स्कूल प्रबन्ध समितियां

स्कूल प्रबन्ध समिति स्कूल के कार्यकरण का निरीक्षण और जांच करेगी, परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन, अध्यापकों के वेतन भुगतान और स्कूल की देखभाल तथा विकास के लिए अनुदान का उपयोग करेगी और अध्यापकों के कार्यनिष्पादन (अवकाश मंजूर करने, नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट देने और साधारण दंड देने सहित) को मानीटर करेगी ।

कर्नाटक में स्कूल विकास और मानीटरिंग समिति के कर्यनिष्पादन के साक्ष्य मिले जुले हैं । एसएमसी के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव स्कूल की गुणवत्ता में सुधार का निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है ।[9] यह विचारणीय है कि क्या सभी एसएमसी को स्कूल की परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध करने की क्षमता होगी और वेतन भुगतान करने जैस कार्यों के लिए प्रशासनिक क्षमता भी होगी । स्कूल प्रबन्ध समिति महिला सदस्यों अथवा सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख नहीं करता है ।

### अभिभावक

विधेयक में यह उल्लेख है कि यदि कोई माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिलाता है तो स्कूल प्रबन्ध समिति अनिवार्य बाल संरक्षण के माध्यम से दंड लगा सकती है ।

चूंकि सभी बच्चों को स्कूल भेजने का दायित्व स्थानीय संस्था पर हैं, अतः यह उपयुक्त होगा कि स्थानीय संस्था पर ही अभिभावकों पर दंड लगाने का भी दायित्व होना चाहिए ।

---

अध्ययन (www.pratham.org पर उपलब्ध) जून-अगस्त, 2004 में 17 राज्यों में किया गया जो दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में 7-11 वर्ष आयु के 45% बच्चे पढ़ नहीं सकते, निजी स्कूल में यह 24% था ।

[8] केब समिति का अनुमान कि 3% बच्चे विकलांग हैं एनएसएस के अनुमान से अधिक है । एनएएस का अनुमान है कि 5-14 वर्ष के बच्चों के यह प्रतिशत 1.2%-1.5% है ।

[9] (क) कर्नाटक सरकार का डीएसईआरटी अध्ययन, मई 2005। (ख) Gunnarson *et al*, "Does school decentralization raise student outcomes?" 2004 । (ग) Lewis और Naidoo, "Whose theory of participation?" Harvard Graduate School of Education, मई 2004 ।

## अध्यापक

अध्यापक स्कूल से जुड़े संवर्ग के होते हैं । उन्हें अन्य स्कूल में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा । इसमें अध्यापकों के रोजगार की प्रगति और रोजगार की सुरक्षा के लिए कठिनाइयां हो सकती है (यह स्थिति वहां है जहां बच्चों की संख्या में कमी होने के कारण स्कूल बन्द हो जाते हैं) ।

कोई शिक्षक शिकायतों को दूर करने के लिए एसएमसी/स्थानीय संस्था से सम्पर्क कर सकता है । शिक्षक के पास कोई निवारण तंत्र नहीं है यदि उसे एसएमसी या स्थानीय संस्था के विरूद्ध शिकायत है ।

## वित्त व्यवस्था

केब रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि विधेयक को लागू करने में 6 वर्षों में 3,21,000 करोड़ रूपए और 4,36,000 करोड़ रूपए के बीच राशि की जरूरत होगी । 47,100 करोड़ रूपए[10] जो चालू वित्त वर्ष (2003-04) में प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, के अतिरिक्त 53,500 करोड़ रूपए से 72,700 करोड़ रूपए औसत की जरूरत होगी । 2005-06 में शिक्षा उपकर द्वारा धन जुटाने के लिए बजट व्यवस्था 6,875 करोड़ रूपए है और इसे समान्य जीडीपी वृद्धि (केब कमिटी द्वारा इसकी गणना के लिए 12.2% माना गया है) माना जाए तो इससे 15-20% जरूरतें पूरी होंगी ।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार को बढ़ती हुई खर्च के निधियन में राजकोषीय कठिनाई हो सकती है और पूरा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने की जरूरत पड़ेगी । इससे केन्द्र सरकार के वार्षिक बजट में अनुमानित 6.4% -8.5% खर्च में वृद्धि होगी ।

### सारिणी 1. अनुमानित अतिरिक्त अपेक्षित निधियन

*(रूपए करोड़ में)*

| समिति | अपेक्षित राशि |
|---|---|
| प्रारूप 83वां संशोधन विधेयक, | 5 वर्षों में 40,000 |
| तपस मजुमदार कमिटी, 1999 | 10 वर्षों में 1,36,922 |
| 93वां संशोधन विधेयक, 2001 | 98,000 दस वर्षों में |
| केब कमिटी रिपोर्ट, 2005 | 6 वर्ष में 3,21,000 से 4,36,000 |

स्रोतः कमिटी रिपोर्ट, पीआरएस

### सारिणी 2. वित्त व्यवस्था की अतिरिक्त जरूरतें (केब का अनुमान)

| अपेक्षित राशि (रूपए करोड़) | 6 वर्ष में 3,21,000 से 4,36,000 |
|---|---|
| जीडीपी का प्रतिशत | 1.1% से 1.5% |
| सरकारी खच्र का प्रतिशत | 6.4% से 8.5% |

स्रोतः केब कमिटी, यूनियन बजट, पीआरएस

मान्यताः (क) मामूली जीडीपी वृद्धि 12.2% प्रतिवर्ष (केब के समान)
(ख) सरकारी बजट (अतिरिक्त खर्च छोड़कर) जीडीपी वृद्धि दर पर ।

आभारः पीआरएस उन सभी विशेषज्ञों और स्टेकधारकों जिन्होंने इस प्रारूप विधेयक पर अपने विचार दिए हैं का आभार व्यक्त करता है । मंजु भरत राम (श्री राम स्कूल) अर्चना मेहन्डले (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक से संबंधित केब कमिटी का सदस्य) और करण त्यागी (शिक्षा का मौलिक अधिकार के लिए राष्ट्रीय गठबंधन) की ओर से विधेयक के संबंध में लिखित टिप्पणियां पीआरएस के पास उपलब्ध हैं ।

[10] स्रोतः केब कमिटि रिपोर्ट जून, 2005

# संसद में अनिर्णीत सरकारी विधेयकों की सूची

| राज्य सभा | | लोक सभा | |
|---|---|---|---|
| **विधेयक का नाम** | **मंत्रालय** | **विधेयक का नाम** | **मंत्रालय** |
| भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2004 | विधि और न्याय |
| संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 | मानव संसाधन विकास | राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल विधेयक, 2004 | विधि और न्याय |
| प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक, 1990 | श्रम और रोजगार | भारत का राष्अय चिन्ह (निषेध और अनुचित उपयोग) विधेयक, 2004 | गृह |
| चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1992 | सूचना और प्रसारण | आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद विधेक, 2004 | विधि और न्याय |
| परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992 | परमाणु ऊर्जा | गर्वन्मेंट सिक्युरिटी विधेयक, 2004 | वित्त |
| संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | संविधान (एक सौ तीन संशोधन) विधेयक, 2004 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 1994 | वाणिज्य और उद्योग | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (रिपील) विधेयक, 2004 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995 | मानव संसाधन विकास | मर्चेन्ट शिपिंग (संशोधन) विधेयक, 2004 | जहाजरानी |
| प्राइवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995 | मानव संसाधन विकास | पतस्यपालन अधिनियम, 2005 | वित्त |
| दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 | शहरी विकास | पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 | वित्त |
| संविधान (सतासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 | ग्रामीण विकास | बाल अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 | मानव संसाधन विकास |
| लाटरी (प्रतिषेध) विधेयक, 1999 | गृह | एडमिरेलिटी विधेयक, 2005 | जहाजरानी |
| कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 | कोयला | लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 | लघु उद्योग और एग्रो और ग्रामीण उद्योग |
| विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2001 | वाणिज्य और उद्योग | कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2005 | वित्त |
| नगर पालिका उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001 | शहरी विकास और गरीबी उपशमन | बैंकिंग विनियामन (संशोधन) विधेयक, 2005 | वित्त |
| संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2003 | जनजाति कार्य | भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2005 | वित्त |
| कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 | कंपनी कार्य | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) और वित्तीय संस्थान कानून ( संशोधन) विधेयक, 2005 | वित्त |
| दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 | गृह | चुंगी कानून (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005 | वाणिज्य और उद्योग |
| छावनी विधेयक, 2003 | रक्षा | कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2005 | श्रम और रोजगार |
| माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 2003 | विधि और न्याय | खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 | लघु उद्योग और एग्रो और ग्रामीण उद्योग |
| चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2003 | वित्त | राष्ट्रीय सम्मान अनादर निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2005 | गृह |
| कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2003 | वित्त | पंजाब बिक्री कर (संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में लागू) निरसन विधेयक, 2005 | गृह |
| कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2003 | वित्त | खाद्य सुरक्षा और मानक विधेक, 2005 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| बीज विधेयक, 2004 | कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण | बाल न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2005 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004 | विधि और न्याय | | |
| अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछडे वर्ग (पद और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 | विधि और न्याय | | |
| बाट और माप मानक (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 2005 | कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण | | |
| बाट और माप मानक (संशोधन) विधेयक, 2005 | कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण | | |
| होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | | |
| भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | | |
| मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 | मानव संसाधन विकास | | |
| औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2005 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | | |

| | |
|---|---|
| आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 | गृह |
| भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजी विधेयक, 2005 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005 | श्रम और रोजगार |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 | मानव संसाधन विकास |
| भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005 | श्रम और रोजगार |

स्रोतः लोक सभा बुलेटिन भाग II (संख्या 1637-1639) 9 सितम्बर 2005; राज्य सभा बुलेटिन भाग II (सं. 42550) 9 नवम्बर, 2005.

**नोटः यह सारांश अंग्रेजी में तैयार किया गया था और हिन्दी में अनुवाद किया गया है । हिन्दी रूपान्तर में किसी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी रूपान्तर का सन्दर्भ लिया जाए ।**

घोषणाः यह दस्तावेज आपके सूचना के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है । आप इस रिपोर्ट को गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य व्यक्ति को Parliamentary Research Service (पीआरएस) के सौजन्य से उद्धृत या वितरित कर सकते हैं । इसमें व्यक्त विचार पूरी तरह लेखकों के हैं । पीआरएस ने विश्वस्तरीय और व्यापक जानकारी देने का हरसंभव प्रयास किया है लेकिन पीआरएस यह दावा नहीं करता है कि रिपोर्ट की विषय वस्तु सटीक और पूर्ण हैं । पीआरएस स्वतंत्र और गैर लाभकारी ग्रुप है । यह दस्तावेज प्राप्त करने वाले के विचारों से भिन्न हो सकते हैं ।

## पीआरएस के संबंध में

Parliamentary Research Service (पीआरएस) एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी संस्था है जो संसद में उभरते हुए विधायी मामलों पर व्यापक विचार विमर्श को संवर्धित करना चाहती है । पी आर एस, पारदर्शी, बेहतर सूझ-बुझ और सहभागी विधायी प्रक्रिया के माध्यम से सुशासन को संवर्धित करना चाहती है । पीआरएस का कार्य सहयोगात्मक है और यह सरकारी अनुसंधान, संस्थानों, व्यापार और नागरिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता के पूरक के रूप में कार्य करती है ।

पीआरएस का उद्देश्य हैः-

- उभरते हुए विधायी मामलों का यथासमय, सहज उपयोगी और संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करना ।
- विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना जो विधायी मामलों पर गहन सूझ-बुझ रखते हैं ।
- अधिसंख्य जनता को संसद में चर्चा किए जाने वाले विधायी मामलों से अवगत कराना और उनके मत को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाना ।

पीआरएस को Centre for Policy Research, नई दिल्ली की इकाई के रूप में प्लवित किया जा रहा है जो एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रमुख नीति संबंधी मामलों का अध्ययन करना और वैकल्पिक नीति संबंधी विकल्पों का सुझाव देना है ।

कृपया prsindia@prsindia.org या Parliamentary Research Service, C/o Centre for Policy Research, Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110029 (Fax: 011 26872746) को अपना सलाह भेजें।